

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27( ) ग्राविवि-5 / PMAY-G / V.C. / 2021-22 / 03062-part file(1 जयपुर, दिनांक सितम्बर, 2024

**—:: बैठक कार्यवाही विवरण ::—**

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत वर्ष 2024-25 के आवंटित लक्ष्यानुसार स्वीकृतियां जारी कर प्रथम किश्त के एफटीओं अपलोड करने एवं उक्त संबंध में तकनीकी समस्याओं के निस्तारण हेतु अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारी, जिला परिषद् समस्त के साथ दिनांक 18.09.2024 को दोपहर 12.00 से 1.00 बजे तक समिति कक्ष उत्तर पश्चिम भवन में वी.सी. (NIC के माध्यम से) के माध्यम से बैठक आयोजित की गई।

समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत निम्न निर्देश प्रदान किये गये:-

1. योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 के आवंटित लक्ष्यानुसार आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित रिपोर्ट अनुसार सर्वाधिक बकाया स्वीकृती वाले जिले बांसवाडा-1471, उदयपुर-665, भीलवाडा-348, बूंदी-305, टोंक-288, कोटा-279, डूंगरपुर-277, झालावाड-274, अनूपगढ-229, जोधपुर-225, श्रीगंगानगर-219, सवाईमाधोपुर-214, प्रतापगढ-202 है, उक्त 200 से अधिक सर्वाधिक बकाया स्वीकृति वाले जिलों एवं अन्य सभी बकाया स्वीकृति वाले जिलों को शीघ्र स्वीकृतियां जारी कर प्रथम किश्त के शतप्रतिशत एफटीओं अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया।
  2. योजनान्तर्गत "आवास सॉफ्ट" पर स्वीकृतियां जारी कर प्रथम किश्त के एफटीओं अपलोड करने में आ रही तकनीकी समस्याओं पर जिलों को सपोर्ट मेल पर अग्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया ताकि भारत सरकार स्तर से समस्याओं का शीघ्र निराकरण कराया जा सके।
  3. उक्त संबंध में विभाग द्वारा स्वीकृति एवं एफटीओ जारी करने में आ रही तकनीकी समस्याओं के संबंध में बनाई गई Write - off online application पर लाभार्थीवार, प्रकरणवार तकनीकी समस्याओं को अपलोड करने एवं लाभार्थीवार सूची ई-मेल पर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया, ताकि ऐक्सल फाईल भारत सरकार को अग्रेषित कर समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराया जा सके।
- अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(के.के. शर्मा)  
अधीक्षण अभियंता, ग्रा.वि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्राविवि।
3. जिला कलक्टर, जिला समस्त।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
5. प्रोग्रामर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

